from the subscribers since 1964-65; and

(d) the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) A major portion of the work is done on the accounting machines through the Service Bureau of Messrs IMB World Trade Corporation, on contract basis.

(b) Total number of employees (including class IV) for the residual billing and accounting work done manually is 353.

(c) The exact number of complaints received during 1964-65 is not readily available. 10541 complaints were received during 1965-66.

(d) Steps had been taken to ensure accuracy in issue of bills

मध्य प्रदेश में टेलीफोन लाइनें लगाना

604. **श्री शशि भूषण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडवा से खरगोन (मध्य प्रदेश) तक टेलीफोन लाइन लगाने का कार्य, जो टेलीफोन की तांबे की तार की कमी होने के कारण स्थगित कर दिया गया था, कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ख) मध्य प्रदेश के पश्चिम विमान जिले में खरगोन से कासरवाद होते हुए सिन्धुआ तक टेलीफोन लाइन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) 150 पौंड प्रति मील के तांबे के तार की, जो कि आयात किया जाने वाला सामान है, आम कमी है और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा अभी तक नहीं मिली है । बड़ी गेज के निकाले गये तांबे के तार को इस्तेमाल करने के प्रश्न पर, जो कि इस समय उपलब्ध हैं, विचार किया जा रहा है ताकि यह काम चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सके ।

(ख) खरगोन सीधी ट्रंक लाइन द्वारा सिन्धुआ (सेंधवा) होकर इन्दौर से पहले ही जुड़ा है । कासरवाद से उसे धानमोद से जोड़कर, जो कि निकटतम एक्सचेंज है और सामान्य ट्रंक लाइनों पर है, एक दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला जा रहा है । फिर भी कासरवाद होकर खरगोन से सिन्धुआ तक लाइन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु खरगोन से सिन्धुआ तक सीधा मार्ग बनाने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

605. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मे कितने अवैतनिक मैजिस्ट्रेट है तथा उनकी नियुक्ति के लिये क्या अर्हतायें तथा शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन मे से कुछ मैजिस्ट्रेट इन अर्हताओं और शर्तों को पूरा नहीं करते; और

(ग) क्या इस के बारे में जनता के कड़े विरोध को ध्यान मे रखते हुए सरकार का विचार अवैतनिक मैजिस्ट्रेटो के पदो को समाप्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1-4-67 को अवैनिक मैजिस्ट्रेटो की संख्या 39 थी ।

अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये अर्हताओं और शर्तों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० डी० 251/67]

(ख) सब-मजिस्ट्रेट आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं ।